277

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

मानतीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ——— / 2012 निगरानी – 1343-PBR/12

निगरानीकर्ता

संजीव कुमार पुत्र श्री शीलचन्द्र जाति जैन निवासी ग्राम ग्यारसपुर, जिला विदिशा

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. श्रीमती रचना पत्नी श्री विजयकान्त पुत्री श्री ओमप्रकाश निवासी ग्यारसपुर हाल निवासी ई सीनियर एम आई जी 6 अरेरा कालोनी भोपाल
2. आशीष कुमार
3. आलोक कुमार
4. आशुतोष

पुत्रगण श्री संतोष कुमार निवासीगण कोर्ट परिसर विदिशा

श्री ... द्वारा आज दि. 14-5-12 को प्रस्तुत
14-5-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16.4.2012 जो न्यायालय अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा निगरानी कमांक 245/2010–2011 में पारित किया जो न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर ने अपील कमांक 70/2010–2011 में दिनांक 30–8–2011 को आदेश पारित किया जो नामान्तरण पंजी कमांक 21 आदेश दिनांक 1.9.2010 न्यायालय तहसीलदार ग्यारसपुर के आदेश से उत्पन्न हुआ है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता संजीवकुमार की निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, विवादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 619/1 रकबा 3.000 हेक्टेयर एवं 619/2 रकबा 1.881 हेक्टेयर स्थित ग्राम मानौरा तहसील ग्यारसपुर एवं अन्य कृषि भूमियों को निगरानीकर्ता के पिता श्री शीलचन्द द्वारा अपने अर्जित धन से क्रय की थी। चूँकि परिवार निगरानीकर्ता के पिता बडे थे इस कारण कुछ भूमि अपने भाई के नाम से क्रय की और उसका क्रय धन निगरानीकर्ता के पिता श्री शीलचन्द द्वारा दिया गया।

2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1343-पीबीआर/12 जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	